

सात निश्चय-3 के तहत विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की पहल, सुझावों पर होगी कार्रवाई

जिले के 18 शैक्षणिक संस्थानों में लगा सहयोग शिविर, नशामुक्ति की दिलायी गयी शपथ

प्रतिनिधि, हाजीपुर

बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के तहत ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए मंगलवार को जिले के 18 चयनित शैक्षणिक संस्थानों एवं छात्रावासों में विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित किये गये. इन शिविरों में विद्यार्थियों की समस्याओं को सुना गया और उनके सुझावों को महत्व देना और उनका समयबद्ध समाधान किया जायेगा. शिविरों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित कर शैक्षणिक व्यवस्था, संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी. विद्यार्थियों की समस्याओं एवं सुझावों को विद्यार्थी सहयोग पोटल पर दर्ज कर उनके निराकरण के लिए संबंधित संस्थानों और विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया.

इस पहल के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में जवाबदेही बढ़ाने, विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा है. जिला प्रशासन का लक्ष्य विद्यार्थियों की समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा में समाधान कर उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण



नशामुक्ति के लिए शपथ लेते बच्चे.

एसएनएस कॉलेज से शुरू हुआ नशामुक्त बिहार अभियान, 300 लोगों ने ली शपथ

हाजीपुर. मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के अधिवेशन भवन से ‘नशामुक्त बिहार अभियान-2026’ का शुभारंभ किया. इसके तहत वैशाली जिले में एसएनएस कॉलेज से अभियान की शुरुआत हुई. जिला स्तरीय कार्यक्रम में लगभग 300 छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं पदाधिकारियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ ली.

कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना में आयोजित राज्यस्तरीय शुभारंभ समारोह में सहभागिता की. इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने और समाज में नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया गया. जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित

उपलब्ध कराना है.

युवाओं को किया गया प्रेरित : शिविरों के लिए एसएनएस कॉलेज, हाजीपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिदुपुर, बीपीएस कॉलेज, देसरी, श्री लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय, भगवानपुर, आरपीएस कॉलेज, महनार, राजकीय डिग्री महाविद्यालय, पटौड़ी बेलसर सहित विभिन्न महाविद्यालयों एवं छात्रावासों का नयन किया गया था. इसके अतिरिक्त जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी शिविर

आयोजित किया गया. शिविर के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘नशामुक्त बिहार अभियान-2026’ से भी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया. कार्यक्रम के बाद उपस्थित प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई. युवाओं को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया.

कार्यक्रम के लिए शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया था. इसमें पठन-पाठन, परीक्षा, नामांकन सहित अन्य शैक्षणिक विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं. कॉलेज के प्राचार्य एवं शिक्षकों ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया. इस पहल से विद्यार्थियों को रहत मिली और उनमें उत्साह देखा गया. कार्यक्रम में प्राचार्य विनोद कुमार ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है. युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने जीवन, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए. विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों तथा आसपास के लोगों को भी नशामुक्ति के प्रति जागरूक करें. मौके पर प्राचार्य विनोद कुमार, शिक्षक धनंजय कुमार, प्रवेश कुमार सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं मौजूद थे.



लाइव प्रसारण में शामिल लोग .

आयोजित की जाएगी . अवैध नशा कारोबार की सूचना व्हाट्सएप नंबर 8544424310 तथा जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 06224-260233 और 06224-260234 पर दी जा सकती है. जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि

सीएसपी संचालक से 11 लाख लूट मामले में जांच की गुहार

राधोपुर. राधोपुर प्रखंड अंतर्गत राधोपुर पश्चिमी वार्ड नंबर दो में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ 14 अक्तूबर को दिनदहाड़े 11 लाख रुपये की लूट की घटना हुई थी.

इस मामले में पीड़ित मनोज कुमार ग्राम पहाड़पुर पूर्वी, थाना जुड़ावमपुर ने वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा को आवेदन देकर कांड के पर्यवेक्षण की मांग की है. पीड़ित के अनुसार, वह 14 अक्तूबर को दोपहर करीब 2 बजे सेंट्रल

बैंक ऑफ इंडिया शाखा रुस्तमपुर (वर्तमान पता कच्ची दरगाह) से अपने ओडी खाते से 8 लाख रुपये निकला था. उसी समय रुस्तमपुर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने उसे 3 लाख रुपये और दिए और कहा कि रास्ते में मल्लिकपुर निवासी बिहार ग्रामीण बैंक सीएसपी संचालक गुड्डू कुमार को आवेदन देकर कांड के पर्यवेक्षण की मांग की है. पीड़ित के अनुसार, वह 14 अक्तूबर को दोपहर करीब 2 बजे सेंट्रल

निकलने के बाद आरोपित के मोबाइल नंबर से उसके मोबाइल नंबर पर चार मिस कॉल आए. जैसे ही वह कॉल रिसीव करने के लिए मोटरसाइकिल रोक्ता, कॉल कट जाता. 2 बजकर 13 मिनट पर पांचवां कॉल आया, जैसे ही उसने मोटरसाइकिल धीमी कर कॉल रिसीव किया, पीछे से काले-लाल रंग की अपाची पर सवार दो बदमाश ने लात मारकर गिरा दिया. पीछे बैठे बदमाश ने कट्टा सटाकर बैग छीन लिया, विरोध

करने पर कट्टा के बट से मारकर घायल कर दिया और मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर फरार हो गया. पीड़ित ने मांग की है कि इस कांड का पर्यवेक्षण एसएसपी स्वयं करें या किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी से कराएँ ताकि सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के आधार पर संचालक में शामिल लोगों का पर्दाफाश हो सके. मामला रुस्तमपुर थाना कांड संख्या 29/2026, बीएनएस धारा 309(4) के तहत दर्ज है.

महनार में 15 दिनों में 14 जगह छापेमारी, 167 डिब्बी कोटा ड्रम्स व 180 लीटर शराब बरामद

महनार. ऑपरेशन नीलकंठ के तहत महनार अनुमंडल क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पिछले 15 दिनों में 14 स्थानों पर छापेमारी कर 167 डिब्बी कोटा ड्रम्स और 180 लीटर देसी शराब बरामद की गई है. इस दौरान छह आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. पुलिस ने एक बाइक और दो मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं.

इस संबंध में महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने प्रेसवार्ता कर बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा के निर्देश पर अनुमंडल क्षेत्र में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. पिछले दो दिनों में पुलिस को तीन महत्वपूर्ण फलप्राप्त मिली हैं. इन्होंने बताया कि महनार थाना क्षेत्र के हसनपुर से 23 डिब्बी कोटा ड्रम्स के साथ अमन कुमार और लक्की कुमार को गिरफ्तार किया गया. दोनों के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए. वहीं, गौरीगामा से



नशे के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी देते महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार .

180 लीटर देसी शराब के साथ नीतीश राय और पंकज पासवान को गिरफ्तार किया गया. एसडीपीओ के अनुसार, सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र में सोनवार को 88 डिब्बी कोटा ड्रम्स के साथ तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. वहीं, अब्दुल्ला चौक ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र से 36 डिब्बी कोटा ड्रम्स के साथ संतोष कुमार राय को गिरफ्तार किया.

एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इन्होंने आम लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि समाज को नशे के चंगुल से मुक्त करने के लिए आम लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है.

बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि समाज व सरकार की भी जिम्मेदारी : जिला जज

- सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जीए इंटर विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
- कार्यक्रम में कई न्यायाधीशों ने बच्चों को दी कई जानकारियां

प्रतिनिधि, हाजीपुर

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत मंगलवार को हाजीपुर स्थित जीए इंटर विद्यालय में बाल अधिकार एवं संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान शिक्षा एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार आनंद नंदन सिंह, अवकाश प्राप्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गंगा प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश निशित दयाल, अवर न्यायाधीश सह सचिव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार डॉ प्रमोद कुमार, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड विकास कुमार तथा संस्थान के सचिव डॉ. सुधीर कुमार शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया.इस अवसर पर



कार्यक्रम का उद्घाटन करते जिला जज व अन्य .

जिला जज ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव करना गलत है. बच्चों को बाल मजदूरी, बाल विवाह, हिंसा और शोषण से बचना हम सभी का कर्तव्य है. प्रत्येक बच्चे को अपनी बात रखने और अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए. बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की नहीं, बल्कि समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी है. यदि किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमें चुप रहने के बजाय उसकी सहायता करनी चाहिए. इस अवसर पर गंगा प्रसाद

अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, निशित दयाल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्स कोर्ट, अवर न्यायाधीश प्रमोद कुमार एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड विकास कुमार ने बच्चों के कानूनी अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी. डॉ सुधीर कुमार शुक्ला ने बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण और हिंसा की रोकथाम में समाज की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया. इन्होंने छात्राओं से स्वयं जागरूक बनने तथा आसपास

के बच्चों और परिवारों को भी बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया. इन्होंने सोशल मीडिया और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग पर जोर देते हुए संदिग्ध गतिविधि, धमकी, अनुचित संदेश या ऑनलाइन उपरीड़न की स्थिति में किसी विश्वसनीय वयस्क या संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करने की सलाह दी. छात्राओं ने कार्यक्रम को गंभीरता से सुना और प्राप्त जानकारी को अन्य बच्चों तक पहुंचाने का संकल्प लिया. कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि हर बच्चा सुस्थित बचपन, शिक्षा, सम्मान और संरक्षण का हकदार है तथा इसकी जिम्मेदारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति की है. कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली के तत्वावधान में स्वर्गीय कन्हैया शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान एवं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से किया गया. कार्यक्रम में आगत अतिथियों का स्वागत स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की प्राचार्य अंजना सिंह ने किया.

विद्यार्थी सहयोग शिविर में छात्राओं ने उठायीं समस्याएं



शिक्षक-छात्र संवाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि .

कस्तूरबा गांधी विद्यालय

प्रतिनिधि, राजापाकर

प्रखंड क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय परिसर में मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया. छात्राओं में बीडीओ सूर्य प्रताप सिंह ने ज्ञासमें सीधा संवाद किया. संवाद के दौरान उन्होंने छात्राएं की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया. संवाद के दौरान छात्राएं ने अपनी प्रमुख समस्याएं साझा की. छात्राओं ने बताया कि शिक्षिका की कमी के कारण नवीं एवं दसवीं की कक्षा में पढ़ाई नहीं हो पाती है. वहीं इन कक्षाओं की पढ़ाई के लिए हाइ स्कूल छात्रावास से करीब दो किलोमीटर दूर हैं. स्कूल आने-जाने के दौरान छह लेन की सड़क और एनएच-322 पार करना पड़ता है. ऐसे में छात्राएं ने सुरक्षित आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था कराने की मांग की.

किताबें उपलब्ध नहीं होने से छात्राएं परेशान

छात्राओं ने यह भी बताया कि नवीं और दसवीं कक्षा की किताबें उपलब्ध नहीं हैं. जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इसके अलावा विद्यालय में संगीत की शिक्षिका नहीं होने की समस्या भी उठाई. वहीं छात्राओं की समस्या को सुनने के बाद बीडीओ ने शिक्षिका की कमी दूर करने के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया. उन्होंने विद्यालय की वार्डन सरिता कुमारी को निर्देश दिया कि छात्राओं की पढ़ाई, योगाभ्यास और खेलकूद नियमित रूप से सम्य-सारिणी के अनुसार कराए जाएं. उन्होंने प्रत्येक रविवार को संगीत कार्यक्रम आयोजित करने तथा छात्राएं को विभिन्न खेलों के नियमों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया. मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक मिथिलेश कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक नंदकिशोर प्रसाद सिंह, वार्डन सरिता कुमारी, शिक्षिका दीपा सैडिल्या, गुजन कुमारी, अनुसुकेला अनुपम देवी और सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे.

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड				
कॉर्पोरेट कार्यालय: 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, रसपुर, चेन्नई-600015				
क्षेत्रीय कार्यालय: प्रथम तल, यमन एन्क्लेव, नामरमल के निकट, रुकनपुरा, बेली रोड, पटना, बिहार-800014				
ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com				
जेडआरएम: उमेशा सिंह चौहान (9838202386) एआरएम: मुकेश कुमार (7277654331) आरएलएम: ब्रजेशा अक्वर्थी (9918301885)				
परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित] सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री सूचना				
वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफ), जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई-600015 तथा शाखा कार्यालय: हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 2, प्रथम तल, यमन एन्क्लेव, रुकनपुरा, बेली रोड, पटना-800014 में स्थित है, के पक्ष में बंधक अवल संपत्ति की बिक्री। चूंकि HMF के प्राधिकृत अधिकारी ने बकाया राशि की वसूली हेतु संपत्तियों को "जैसी है जहाँ है के आधार पर" तथा "जो है जैसी है के आधार पर" बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों/ग्रॉस्पेक्ट नंबरों में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नॉटिस के अनुसार संपत्ति पर संपत्तियों का संश्लेषिक कब्जा ले लिया है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी (ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com)।				
संपत्ति के निरीक्षण की तिथि				
ब्याना राशि जमा करने की अंतिम तिथि				
नीलामी की तिथि/समय				
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना: तिथि एवं राशि	कब्जा लेने की तिथि और प्रकार	आरक्षित मूल्य
		कुल बकाया		बकाया राशि (ईएमडी)
1.	BR/PTN/PTNA/A000007181 & CO/CP/CP/POFA/A000002741 & CO/CP/CP/POFA/A0000010332 1. श्री पप्पु पासवान (उधारकर्ता) 2. सुधी नीलामी दैवी (सह-उधारकर्ता) 3. श्री राज किशोर कुमार (सह-उधारकर्ता 1)	27/04/2024 को रु. 7,04,834/- (सात लाख चार हजार आठ सौ चौत्तीस रुपये मात्र) 26/10/2026 तक कुल बकाया: रु. 8,30,784/- (आठ लाख तीस हजार सात सौ चौत्तीस रुपये मात्र)	23/07/2024 प्राधिकृत कब्जा	रु. 22,86,000/- रु. 2,28,600/- रु. 10000/-
अवल संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण: अवल वैशाली, मौजा अलदादपुर, हल्का चकलहाद, थाना संख्या 12, खाता संख्या 594, खेसरा/प्लॉट संख्या 447, गिरवी रखी जाने वाली प्रस्तावित भूमि 3 डिस्मिल, रजिस्ट्री कार्यालय लालंग, जिला वैशाली। चौहरी: उत्तर: हल खरीदार संपीटा सैदा, दक्षिण: देहद पारवान, पूर्व: सिवाना चकलहाद, पश्चिम: सड़क।				
2.	BR/PTN/PTNA/A000000931 & BR/PTN/PTNA/A000001724 & CO/CP/CP/POFA/A000005751 & CO/CP/CP/POFA/A000015473 1. श्री उपेन्द्र साहनी (उधारकर्ता) 2. सुधी बुधबू देवी (सह-उधारकर्ता) 3. श्री ईश्वर साहनी (सह-उधारकर्ता 1)	19/03/2025 और 18,67,458/- रुपये (अठारह लाख सड़सठ हजार चार सौ अड़ान रुपये मात्र) 26/10/2026 की तारीख को 23,45,389/- रुपये (दोईस लाख पैतालीस हजार तीन सौ नव्वीस रुपये मात्र)	23/07/2025 प्राधिकृत कब्जा	रु. 45,83,000/- रु. 4,58,300/- रु. 10,000/-
अवल संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण: खाता संख्या 07, खेसरा/प्लॉट संख्या 1109, क्षेत्रफल 4 डिस्मिल, थाना संख्या 291, मौजा सिरसा विरान, हल्का सिरसा विरान, अवल लालंग, रजिस्ट्री कार्यालय लालंग, जिला वैशाली। चौहरी: उत्तर: बिकेला का अपना प्लॉट संख्या 1108, दक्षिण: तेरती देवी, पूर्व: निजी सड़क, पश्चिम: बाल किरान सहनी।				
संपत्ति के निरीक्षण की तिथि				
ब्याना राशि जमा करने की अंतिम तिथि				
नीलामी की तिथि/समय				
क्र. सं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना: तिथि एवं राशि	कब्जा लेने की तिथि और प्रकार	आरक्षित मूल्य
		कुल बकाया		बकाया राशि (ईएमडी)
3.	BR/PTN/PTNA/A000001059 & CO/CP/CP/POFA/A000000084 & CO/CP/CP/POFA/A000008921 1. श्री विनोद साह (उधारकर्ता) 2. सुधी नीलामी दैवी (सह-उधारकर्ता) 3. सुधी बुधबू देवी (सह-उधारकर्ता 1)	11/12/2023 और 14,20,725/- रुपये (चौदह लाख बीस हजार सात सौ चत्तीस रुपये मात्र) 26/10/2026 की तारीख को 19,99,002/- रुपये (उनोईस लाख नित्यानेह हजार दो रुपये मात्र)	13/03/2024 प्राधिकृत कब्जा	रु. 30,39,000/- रु. 3,03,900/- रु. 10,000/-
अवल संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण: अवल बिदुपुर, मौजा राजासन, हल्का राजासन, थाना संख्या 335, थाना बिदुपुर, खाता संख्या 61, खेसरा/प्लॉट संख्या 1535, क्षेत्रफल 1 डिस्मिल, खाता संख्या 61, खेसरा/प्लॉट संख्या 1536, क्षेत्रफल 1 डिस्मिल, कुल क्षेत्रफल 2 डिस्मिल, जिला वैशाली, रजिस्ट्री कार्यालय प्लॉट संख्या 1535 की चौहरी: उत्तर: बसंत शर्मा, दक्षिण: राम सागर साह एवं अन्य, पूर्व: अना ही प्लॉट संख्या 1536, पश्चिम: ग्राम सड़क। प्लॉट संख्या 1536 की चौहरी: उत्तर: पप्पु शर्मा एवं अन्य, दक्षिण: राम सागर साह एवं अन्य, पूर्व: पप्पु शर्मा एवं अन्य, पश्चिम: अना ही प्लॉट संख्या 1536।				
भुगतान का तरीका - सभी भुगतान आरटीजीएस/नेफ्ट/फडी के माध्यम से किए जाने चाहिए। खाते का विवरण इस प्रकार है: ए) खाता का नाम - हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी) बैंक का नाम - एचडीएफसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड - HDFC0004989।				
ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें:				
1. संपत्ति "जैसी है जहाँ है, जो कुछ भी है और बिना किसी सहारे/प्रतिगारंटी के के आधार पर बेची जा रही है। ऐसी बिक्री किसी भी प्रकार की गारंटी या क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति का विवरण (वित्तरा एंव माप) सुरक्षित लेनदार की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार दिया गया है और किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए सुरक्षित लेनदार उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक सीमाएँ और माप भिन्न हो सकते हैं। 3. यह ई-नीलामी सूचना आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने का निमंत्रण है और यह सुरक्षित लेनदार की ओर से कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं बनाती है। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली लगाने से पहले सुरक्षित लेनदार के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों की प्रतियाँ देखें और संपत्ति के स्वामित्व, वर्तमान स्थिति तथा दावों/बकायों की स्वतंत्र जांच करें। 4. नीलामी केवल वेबसाइट https://www.bankauctions.com के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा होगी, जिसका समयमय सेवा प्रदाता मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। 5. बोलीदाता अपनी प्रदात के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश या बिजली विफलता के लिए बैंक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सहायता व प्रक्रिया हेतु संपर्क करें: मेसर्स सी। इंडिया प्रा. लि., प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 (हेल्पलाइन: +91-124-4302000, ईमेल: support@bankauctions.com, मोबाइल: 7291981124/1125/1126, श्री मिथिलेश कुमार: 7080804466, ईमेल: Mithalesh.kumar@clindia.com, delhi@clindia.com)। 7. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाता https://www.bankauctions.com पर समय रहते पंजीकरण कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और केवल पात्र बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य या उससे पहले जमा करना होगा। 9. विधिवत भरा हुआ बोली-प्रपत्र ईएमडी प्रेषण रसीद सहित सीलबंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी: श्री आशुतोष कुमार, क्षेत्रीय कार्यालय: हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 2, प्रथम तल, यमन एन्क्लेव, नामरमल के निकट, रुकनपुरा, बेली रोड, पटना-800014 को भेजा जाना चाहिए। 10. यह लिफाफा 01-08-2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे के ऊपर संबंधित ऋण खाता संख्या एवं संपत्ति धारकों के नाम (श्री पप्पु पासवान एवं अन्य / श्री उपेन्द्र साहनी एवं अन्य / श्री विनोद साह एवं अन्य) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 11. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद प्राधिकृत अधिकारी बोलियों की जाँच करेंगे और केवल पात्र बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य या उससे अधिक बोली लगाई है और ईएमडी जमा की है) की सूची सेवा प्रदाता को सौंपेंगी। 12. पात्र बोलीदाताओं के बीच अंतर-बोली उच्चतम बोली से शुरू होगी। अंतिम 10 मिनट में नई बोली आने पर नीलामी का समय स्वतः 10 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा (अस्तीति विस्तार)। 13. एक बार प्रस्तुत की गई बोली वापस या रह नहीं की जा सकेगी। दिए गए यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियाँ उसी बोलीदाता द्वारा लगाई गई मानी जाएँगी। 14. नीलामी समाप्त होते ही उच्चतम बोलीदाता अपनी अंतिम बोली राशि की पुष्टि ईमेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं सेवा प्रदाता दोनों को तुरंत भेजेगा। 15. सफल घोषित बोलीदाता को नीलामी वाले दिन ही अपनी बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) और शेष 75% राशि बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में एनएफडी/आरटीजीएस द्वारा जमा करनी होगी। 16. निर्धारित समय में राशि जमा न करने पर बिक्री रह कर दी जाएगी, जमा राशि (ईएमडी सहित) जमा नहीं की जाएगी और संपत्ति पुनः बिक्री के लिए रखी जाएगी। 17. सफल बोलीदाता के लिखित अनुरोध पर प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेकाधिकार से शेष राशि जमा करने हेतु लिखित अतिरिक्त समर्थन दे सकते हैं। 18. सफल बोलीदाता को कुल बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस जमा करके प्राधिकृत अधिकारी को प्रमाण-पत्र देना होगा। ईएमडी समाप्त होने के बाद शेष राशि प्रस्ताव स्वीकार होने के 15 कार्यदिवसों के भीतर जमा करनी होगी, अन्यथा ईएमडी जब कर ली जाएगी। 19. बिक्री प्रमाण-पत्र जारी होने से पहले संपत्ति से जुड़े सभी नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बिल या अन्य सरकारी देयताएँ सफल बोलीदाता को चुकानी होंगी। 20. पूर्ण बिक्री मूल्य तथा सभी करों/शुल्कों के भुगतान का वेध प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। 21. हस्तांतरण, रेटायर, द्यूट्री, निबंधन शुल्क तथा अन्य सभी कानूनी व प्रशासिक खर्च सफल केला द्वारा वहन किए जाएँगे। 22. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बिना ई-नीलामी को रथीयता या रक करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि निर्धारित तिथि से पूर्व नीलामी रथीयत की जाती है, तो इसकी सूचना सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर दी जाएगी। 23. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निविदाव होगा। 24. बोली जमा करने वाले सभी बोलीदाताओं के बारे में यह माना जाएगा कि उन्होंने ई-नीलामी बिक्री के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ व समझ लिया है और वे उनसे पूरी तरह बाध्य हैं। 25. अधिक विवरण हेतु संपर्क करें: auction@hindujahousingfinance.com। 26. यह प्रकाशन प्रसिद्ध तिथि (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुसारण में उपरोक्त ऋण खातों के उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरों के लिए उपरोक्त तिथि/स्थान पर नीलामी आयोजित करने की 30 (तीस) दिनों की वैधानिक सूचना भी है।				
दिनांक: 28/10/2026 रविवार पटना				
विशेष निर्देश / सार्वजनिक: बोलीदाताओं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे नीलामी के अंतिम मिनटों या सेकंडों में बोली लगाने से बचें। ऐसी स्थिति में बोलीदाता की ओर से किसी भी प्रकार की चूक अथवा विफलता (जैसे इंटरनेट सेवा बाधित होना, बिजली आपूर्ति उप होना आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकरिसक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ एवं कनेक्टिविटी उपाय पहले से सुनिश्चित कर लें। इसमें बैंक और बिजली आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ शामिल हैं, ताकि ऐसी किसी भी समस्या से बचा जा सके और वे नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।				